प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**युगलपीठ :माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीशतथा**

**माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश**

दांडिक अपील क्रमांक: 515/1997

दिला उर्फ अवतार सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

**निर्णय**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु प्रस्तुत।

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

**माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता**

मैं सहमत हूँ।

सही/-

(मुख्य न्यायाधिपति)

निर्णय हेतु दिनांक: 1/09/2012

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**युगलपीठ :माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीशतथा**

**माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश**

**आपराधिक अपील क्रमांक: 515/1997**

अपीलार्थी — दिला उर्फ अवतार सिंह, पिता श्री संतराम बत्रा, आयु 22 वर्ष, निवासी राजकिशोर नगर, चंदन आवास, मकान क्रमांक 51, जबड़ापारा, सरकंडा, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी — मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

---

उपस्थिति

डॉ. शैलेश आहूजा, अधिवक्ता — अपीलकर्ता की ओर से

श्री जे. ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता — राज्य की ओर से

---

**निर्णय**

**(12.09.2012)**

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा दिया

(1) यह अपील दिनांक 31 जनवरी 1997 को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 50/96 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय के द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं– मृतक बसंत सोनी की एक छोटी साइकिल की दुकान थी। अपीलकर्ता की एक पान की दुकान मृतक की दुकान के पास स्थित थी।पेट में लगी चोट इतनी गहरी थी कि वह तिल्ली तक पहुँच गई और तिल्ली पर 1 x ½ x ½ इंच का घाव हो गया। पेट की गुहा में बहुत अधिक मात्रा में खून जमा हो गया था। यही मृत्यु का कारण बना और यह मृत्यु प्रकृति में मानव वध प्रकृति की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श.-पी/1) के रूप में दर्ज है। अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया और उसका मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श -पी/13) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिनांक 15.10.1995 को दर्ज किया गया। उसके बताए अनुसार 8 इंच की एक कैंची, जिस पर खून जैसे धब्बे थे, बरामद की गई और इसका जब्ती पंचनामा (प्रदर्श -पी/14) तैयार किया गया। इसके अलावा अन्य वस्तुएँ भी जब्त की गईं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला , सागर भेजा गया, जहाँ से रिपोर्ट (प्रदर्श -पी/25) प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न वस्तुओं, जिनमें कैंची भी शामिल थी, पर खून के धब्बे पाए गए। हालांकि इन वस्तुओं को सीरोलॉजिकल परीक्षण के लिए भी भेजा गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

अभियोजन का मामला प्रत्यक्षदर्शी गवाहों – अयोध्या प्रसाद (अभियोजन साक्षी-4), संतोष यादव (अभियोजन साक्षी--6) और मुन्ना कच्छी (अभियोजन साक्षी-9) — के बयानों पर तथा कु. संतोषी सोनी (अभियोजन साक्षी-5) के समक्ष मृतक द्वारा दिए गए मौखिक मृत्युपूर्व कथन पर आधारित था। सभी प्रत्यक्षदर्शी गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए और उन्होंने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। लेकिन कु. संतोषी सोनी (अभियोजन साक्षी-5) ने मृतक द्वारा दिए गए मौखिक मृत्युपूर्व कथन को प्रमाणित करते हुए अभियोजन के पक्ष का समर्थन किया। माननीय सत्र न्यायाधीश ने कु. संतोषी

सोनी (अभियोजन साक्षी-5) की गवाही पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे उपर्युक्त अनुसार सजा सुनाई।

3) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता डॉ. शैलेश आहूजा ने मृतक की मृत्यु के हत्या (हॉमिसाइडल) होने के तथ्य का विवाद नहीं किया। उन्होंने यह भी विवाद नहीं किया कि इस अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता थी। उनका मुख्य तर्क यह था कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच अचानक हुए झगड़े में, अपीलकर्ता ने अपनी पान की दुकान में उपयोग होने वाली कैंची उठाई और मृतक के पेट पर एक ही वार किया। इसलिए उसका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय नहीं है, बल्कि उसे किसी कम धारा के अंतर्गत, विशेष रूप से धारा 304 के भाग-II के अंतर्गत दंडित किया जाना चाहिए।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री जे. ए. लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन किया।

(5) दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के बाद, हमने सत्र प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(6) यह स्वीकार्य है कि तीनों प्रत्यक्षदर्शी गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। कु. संतोषी सोनी (अभियोजन साक्षी-5) ने अपने बयान में कहा कि जब उन्हें घटना की जानकारी मिली, तो वह तुरंत घटनास्थल पर पहुँचीं और अपने भाई को घायल अवस्था में देखा। उसके (मृतक) पेट में चोट लगी हुई थी। जब उन्होंने पूछा कि यह कैसे हुआ, तो उसने स्पष्ट शब्दों में बताया कि अपीलकर्ता ने उसे कैंची से मारा है। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने भी मृतक के शरीर पर उपरोक्त चोट पाई और यह मत व्यक्त किया कि यह चोट मृत्यु से पूर्व की थी मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम के अनुसार मानव वध प्रकृति की थी। हमें कु. संतोषी सोनी (अभियोजन साक्षी-5) के साक्ष्य में कोई कमी या त्रुटि नहीं दिखाई देती, जिसे चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी पुष्टि मिली है। इसलिए, माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष निकालना पूर्णतः उचित था कि मृतक ने कु. संतोषी सोनी (अ सा.-5) के समक्ष मौखिक मृत्युपूर्व कथन दिया था, उसे उपरोक्त चोट लगी थी और उसी चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई, जो कि हत्या की श्रेणी में आती है।

(7) अब हम डॉ. आहूजा द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करेंगे।

(8) माननीय सत्र न्यायालय ने उल्लेख किया कि अयोध्या प्रसाद (अभियोजन साक्षी-4) ने अपने बयान में कहा कि संतोष यादव (अभियोजन साक्षी-6), मुन्ना कच्छी (अभियोजन साक्षी-9) और अपीलकर्ता पान की दुकान के पास बैठे हुए थे। उसी समय बसंत सोनी भी वहाँ आ गया। वे सभी अंधेरे में बैठे हुए शराब पी रहे थे। इसके बाद मृतक पर हमला किया गया। संतोष यादव (अभियोजन साक्षी-6) और मुन्ना कच्छी (अभियोजन साक्षी-9) ने भी इसी प्रकार के बयान दिए। उन्होंने भी इन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति स्वीकार की। उन्होंने बताया कि मृतक के साथ अंधेरे में कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। उस व्यक्ति और मृतक के बीच कहासुनी शुरू हो गया और दोनों एक-दूसरे को गाली देने लगे। इसके बाद वह व्यक्ति मृतक की साइकिल की दुकान के पीछे गया, फिर वापस आया और उसने मृतक पर हमला कर दिया। हालांकि, वे हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार को नहीं देख पाए।

(9) हरि राम बनाम हरियाणा राज्य, (AIR 1983 SC 185) में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मृतक और अपीलकर्ता के बीच हुए झगड़े की स्थिति में, अचानक उत्पन्न हुए विवाद के दौरान अपीलकर्ता और उसके...दूसरी ओर, अपीलकर्ता और उसके साथियों ने झगड़े के दौरान एक जेली (नुकीला हथियार) उठाया और उसे मृतक के सीने में घोंप दिया। इससे पहले कुछ गंभीर टिप्पणी (बहस/विवाद) हुई थी। अपीलकर्ता ने मृतक पर केवल एक ही वार किया था। इन तथ्यों और परिस्थितियों में यह माना गया कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत आता है और 5 वर्ष के कठोर कारावास (जो पहले ही भुगता जा चुका था) को उचित दंड माना गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (AIR 1983 एससी 463) में, एक चाकू का उपयोग किया गया था और अचानक हुए झगड़े में, आवेश में मृतक के सीने पर चाकू से वार किया गया। यह वार सीने के अंदर गहराई तक चला गया, जिससे हृदय को चोट पहुँची और यह चोट सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इन तथ्यों और परिस्थितियों में यह माना कि यह मामला धारा 304 भाग-II भ.द.स. के अंतर्गत आता है और 5 वर्ष का कारावास न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा।

(11) शीतला प्रसाद उर्फ बाबा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (AIR 1994 एससी 1643) में, अपीलकर्ता जो भाला से लैस था, उसने मृतक के पेट में भाले से वार किया। पोस्टमार्टम करने वाले

डॉक्टर ने पेट में नाभि के ऊपर एक गहरा घाव पाया और यह भी देखा कि उस घाव से ओमेंटम (आंत का हिस्सा) बाहर आ रहा था। दूसरी चोट केवल शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) से संबंधित थी, जो चोट क्रमांक 1 के बाएँ किनारे से जुड़ी हुई थी। डॉक्टर ने यह भी पाया कि चोट क्रमांक 1 के नीचे मेसेन्ट्री (आंत की झिल्ली) में 2 सेमी x ½ सेमी का घाव था, जिससे मेसेन्ट्री की धमनी की एक शाखा कट गई थी। यह घटना खेत में पानी मोड़ने ( करने) को लेकर हुए झगड़े के दौरान हुई थी, जिसमें आरोपी ने मृतक को चोट पहुँचाई। यह माना गया कि आरोपी का उद्देश्यकिसी विशेष घातक चोट पहुँचाने का उद्देश्य, जिसे डॉक्टर ने मृत्युकारक बताया था, सिद्ध नहीं हो पाया। इसलिए यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-II के अंतर्गत माना गया। 7 वर्ष की हिरासत (जो पहले ही भुगती जा चुकी थी) को उचित दंड माना गया।

(12) मविला थंबन नंबियार बनाम केरल राज्य, (AIR 1997 एससी 687) में, अपीलकर्ता ने मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर कैंची से एक वार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह माना कि अपीलकर्ता को यह ज्ञान था कि इस प्रकार की चोट मृत्यु का कारण बन सकती है, भले ही उसका हत्या करने का स्पष्ट इरादा न रहा हो। इसलिए धारा 302 भ.द.स. के अंतर्गत दी गई सजा को बदलकर धारा 304 भाग-II भ.द.स. के अंतर्गत कर दिया गया। वर्तमान मामले में भी अपीलकर्ता ने कैंची का उपयोग किया, जो उसकी पान की दुकान में रखी हुई थी और जिसका उपयोग सामान्यतः पान काटने के लिए किया जाता है। उसने मृतक के पेट (एब्डोमिनल क्षेत्र) में केवल एक ही वार किया। दुर्भाग्यवश, वह कैंची तिल्ली (स्प्लीन) तक घुस गई और वहाँ कटाव की चोट हो गई। दोनों पक्षों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। अपीलकर्ता शुरू से उस हथियार को लेकर नहीं आया था। इससे स्पष्ट होता है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और न ही किसी प्रकार की तैयारी की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 3-4 मित्र रात में अंधेरे में बैठकर शराब पी रहे थे और अचानक हुए झगड़े के दौरान यह घटना घटित हुई, जिसमें अपीलकर्ता ने मृतक को कैंची से एक ही वार किया, जो घातक साबित हुआ। यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। यदि उसका हत्या करने का इरादा होता, तो वह बार-बार वार करता, जो उसने नहीं किया। यधपि अपीलकर्ता को इस बात का ज्ञान अवश्य माना जा सकता है। उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हमारा मत है कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि अपीलकर्ता धारा 304 के भाग-II के अंतर्गत दंडित किए जाने का पात्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) उपर्युक्त कारणों के आधार पर, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को धारा 302 भ.द.स. के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं सजा को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर, अपीलकर्ता को धारा 304 भाग-II भ.द.स. के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है और उसे पहले से भुगती गई सजा (लगभग 6 वर्ष) तक की अवधि के लिए दंडित किया जाता है।

सही/ -

मुख्य न्यायाधिपति

सही/ -

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ---------------- Ishan Sharma